1136

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 5–17/2018/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 14/04/2021

प्रति,

डी.आई.जी. (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग अलीगंज रोड
नई दिल्ली – 110003

विषयः– Diversion of 841.538 ha. of forest land for non forest purpose under forest conservation Act 1980 for proposed Parsa Open Cast coal Mine (5MTPA) in favour of M/s Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited (RRVUNL) in Surguja and Surajpur Districts in tha State of Chhattisgarh. Regarding.

संदर्भः–1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8–36/2018–FC, दिनांक 13.02.2019 ।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8–36/2018–FC, दिनांक 24.04.2019 ।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्र./भू–प्रबंध/खनिज/331–229/547, दिनांक 25.02.2021 ।

––––00––––

विषयांकित प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 1 के माध्यम से सशर्त सैद्वांतिक स्वीकृति प्रदाय की गई है। जिसमें उल्लेखित शर्तों का पालन प्रतिवेदन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) के संदर्भित पत्र क्र. 3 के माध्यम से प्राप्त हुआ है जिसकी छायाप्रति पत्र के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

2/– यहां यह उल्लेखनीय है कि, संदर्भित पत्र क्र. 01 के माध्यम से जारी सैद्धांतिक स्वीकृति के शर्त क्रमांक 05 को संदर्भित पत्र क्र. 02 के माध्यम से संशोधित करते हुए निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया :–

"The State Government and the User Agency shall comply with the recommendation made in the Biodiversity Assessment Study to be carried out by Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE), Dehradun in consultation with Wildlife Institute of India (Wll) Dehradun for the whole Hasdeo-Arand coalfields comprising of Tara, Parsa, Parsa East, Kantebasen etc. Tha State Govenmen Shall submit recommendation of Biodiversity Assessment to MOEF&CC before Stage-ll approval for further decision in the Minestry. "

3/– उक्त संशोधित शर्त के पालन में आवेदक संस्थान से Biodiversity Assessment हेतु आवश्यक राशि प्राप्त कर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) द्वारा उनके पत्र दिनांक

29.01.2019 के माध्यम से Biodiversity Assessment Study का कार्य ICFRE देहरादून को प्रदाय किया गया है। उक्त Study का कार्य वर्तमान में जारी है तथा ICFRE देहरादून से रिपोर्ट अप्राप्त है।

4/— उक्त रिपोर्ट मिलने में विलंब को देखते हुए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड तथा कोयला मंत्रालय द्वारा विषयांकित प्रकरण के अंतिम चरण की अनुमति से उक्त शर्त को Delink करने हेतु बार–बार भारत सरकार तथा राज्य शासन से पत्राचार किया गया। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के उक्त आवेदन पर राज्य शासन से अभिमत चाहा गया था। जिसपर विभागीय पत्र क्र. एफ 5–17/2018/10–2, दिनांक 19.09.2019 के माध्यम से लेख किया गया कि Delink किये जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य शासन स्तर पर विचाराधीन है। ICFRE देहरादून से Biodiversity Assessment Study की रिपोर्ट आने के बाद तथा उसके अध्ययन उपरांत उक्त शर्त के संबंध में राज्य शासन द्वारा कोई अभिमत दिया जाना संभव होगा। चूंकि प्रकरण में अंतिम चरण की अनुमति के पूर्व Biodiversity Assessment Study की रिपोर्ट की अनिवार्यता संबंधी शर्त भारत सरकार द्वारा बाद में अतिरिक्त शर्त के रूप में अधिरोपित की गई है। Biodiversity Assessment Study Report अभी तक अप्राप्त है। अतः Biodiversity Assessment Study Repot प्राप्त होने में विलंब को दृष्टिगत रखते हुए उक्त शर्त को प्रथम चरण की स्वीकृति की शर्त से Delink किया जाना यदि आवश्यक समझा जाता है तो इस हेतु भारत सरकार द्वारा अपने स्तर से निर्णय लिये जाने का अनुरोध है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

15.6.21

(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

क्रमांक/एफ 5–17/2018/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 14/06/2021

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
2. मुख्य वन संरक्षक, सरगुता वृत्त, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़।
3. वनमंडलाधिकारी, सूरजपुर वनमंडल, सूरजपुर छत्तीसगढ़।
4. आवेदनकर्ता राजस्थान, राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, विद्युत भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर राजस्थान।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

15.6.21

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

O/C

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/खनिज/331–229/ 547 रायपुर, दिनांक25/02/2021

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नया रायपुर

विषय :– **Diversion of 841.538 ha. of forest land for non forest purpose under forest conservation Act 1980 for proposed Parsa Open Cast coal Mine (5MTPA) in favour of M/s Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited (RRVUNL) in Surguja and Surajpur Districts in the State of Chhattisgarh. Regarding.**

पंजीयन क्रमांक – FP/CG/MIN/20742/2016

संदर्भः 1. भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र एफ.एन. 8–36/2018 एफ.सी दिनांक 13.02.2019

2. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त का पत्र क्रमांक/ नस्ती क्रमांक–53/2021/ 342 दिनांक 23.02.2021

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के संदर्भ पत्र–1 द्वारा मेसर्स राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ज्योति नगर, जयपुर को सरगुजा जिले के सरगुजा वन मंडल एवं सूरजपुर जिले के सूरजपुर वंन मंडल अंतर्गत परसा खुली खदान से कोयला उत्खनन हेतु 841.538 हे. वन भूमि के लिए प्रथम चरण की स्वीकृति वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की गई है।

संदर्भ पत्र –2 के माध्यम से प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो का पालन प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अम्बिकापुर द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. जो निम्नानुसार है:–

SL	Conditions	Compliance
(i)	Legal Status of the diverted forest land shall remain unchanged	शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है (परिशिष्ट–1)।
(ii)	Compensatory afforestation shall be raised over the non –Forest land equal in extent to the forest land being diverted within three years of Stage –II clearance and maintained thereafter by the State Forest Department at the cost of the User Agency and at least 1000 plant per hectare (841.538 ha x 1000 = 841538 plants) shall be planted over identified non-forest land. If it is not possible to plant so many saplings in the area identified for CA, the balance saplings will be planted in any other forest as per prescriptions of approved working plan with provision for ten	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु कोरिया वनमण्डल अंतर्गत 1684.66 हेक्टेयर शासकीय राजस्व वन भूमि (छोटे बड़े झाड़ का जंगल) चयनित किया गया है। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु निर्धारत राशि 122,35,18,018/- वेब पोर्टल के माध्यम से कैम्पा खाता में आवेदक संस्थान द्वारा दिनांक 09.02.2021 को

कार्या. प्रमुख सचिव, वन एवं जल. परि. विभाग
क्रमांक/ 813 /2021
दिनांक 25/02/2021

	years on subsequent maintenance.	जमा किया गया है। जमा चालान की प्रति संलग्न है (**परिशिष्ट–II**)।
(iii)	25% of revised CA cost will be deposited extra by the user agency for soil and moisture conservation (SMC) activities on the CA Land.	आवेदक संस्थान द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण राशि का 25 प्रतिशत राशि रूपये 30,58,79,505/- का भुगतान वेब पोर्टल के माध्यम से कैम्पा खाते में दिनांक 09.02.2021 को किया गया है। वेब जेनरेटेड चालान की प्रति संलग्न है (**परिशिष्ट–II**)।
(iv)	The State Govt. shall reconfirm the presence /absence of VDF in the north–eastern part of the proposed forest land under diversion and scope of excluding the same from the proposal.	छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग रायपुर के आदेश क्रमांक/एफ 05–17/ 2018/ 10–2 दिनांक 30.01.2019 द्वारा गठित समिति के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 07.01.2019 के अनुसार सूरजपुर वनमण्डल के कक्ष क्रमांक पी–1997 एवं पी–1982 को क्रमशः 0.6 एवं 0.5 (FSI Moderately dense Forest) की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है (**परिशिष्ट–II-A**)।
(v)	The state Govt. and the user agency shall comply with the recommendation made in the Biodiversity Assessment Study to carried out by ICFRE Dehradun in consultation with Wildlife Institute of India Dehradun for the whole Hasdeo-Arand coalfields comprising of Tara, Parsa, Parsa East KanteBasen	ICFRE देहरादून द्वारा हसदेव अरण्य कोल फिल्ड के अंतर्गत तारा, परसा, परसा ईस्ट एवं केते बासेन के लिए बायोडायर्वसिटी असेसमेंट स्टडी का कार्य प्रगति पर है। रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत अग्रिम कार्यवाही किया जावेगा। आवेदक संस्थान का वचन पत्र में संलग्न है (**परिशिष्ट–III (A)**)। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भू–प्रबंध छ0ग0 रायपुर के पत्र क्र/भू–प्रबंध/खनिज/ 331–169/ 2020 दिनांक 21.06.2017 द्वारा दिये गये निर्देश तहत् आवेदक संस्थान से प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी छ0ग0 रायपुर द्वारा अनुमोदित 1216. 00 लाख का वन्यप्राणी संरक्षण योजना की राशि प्राप्त कर वेब पोर्टल के

		माध्यम से कैम्पा खाता में दिनांक 09.02.2021 को भुगतान किया गया है। संलग्न है (**परिशिष्ट–III(B)**)।
(vi)	The admissible non-forest land for raising compensatory afforestation shall be transferred and mutated in favour of the State Forest Department before issue of the Stage-II approval and the same shall be notified by the State Govt. as RF under section -4 or PF under section -20 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the local Forest Act, as the case may be, within a period of six months. The Nodal Officer (Forest Conservation) shall report compliance in this regard;	छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग रायपुर के द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 में अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 19 अक्टूबर 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया है (**परिशिष्ट–IV**)।
(vii)	Following activities shall be undertaken by the user agency at the project cost;	आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है (**परिशिष्ट–V**)।
	a) Mitigativemeasures to minimize soil erosion and choking of stream shall be implemented within a period of three years with effect from the issue of Stage –II approval in accordance with the approved Plan in consultation with the State Forest Department.	आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है (**परिशिष्ट–V**)। तत्संबंधित परियोजना प्रतिवेदन संलग्न है (**परिशिष्ट–VI**)
	b) Planting of adequate drought hardy plant species and sowing of seeds, in the appropriate area within the mining lease to arrest soil erosion in accordance with the approved scheme;	
	c) Construction of check dams, retention /toe walls to arrest sliding down of the excavated material along the contour in accordance with the approved scheme;	
	d) Stabilize the overburden dumps by appropriate grading /benching, in accordance with the approved scheme, so as to ensure that angles of repose at any given place is less than 28^0 and	
	e) No damage shall be caused to the top-soil and user agency will follow the top soil management plan.	
(viii)	The land identified for the purpose of CA shall be clearly depicted on a Survey of India topo-sheet of 1:50,000 scale.	क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु चयनित भूमि का टोपोशीट 1:50,000 स्केल का मानचित्र संलग्न है (**परिशिष्ट–VII** में)।
(ix)	The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation at the current wage rate in consultation with State Forest Department in the account of CAMPA of the concerned State through online portal. The	परिवेश ऑन लाईन पोर्टल में क्षतिपूर्ति वनीकरण एवं अन्य राशि का चालान जनरेट कर कैम्पा खाते में राशि का भुगतान दिनांक 09.02.2021 को किया

	scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	गया है। ई–चालान की प्रति संलग्न है (**परिशिष्ट–II**)। अतिरिक्त राशि के भुगतान हेतु आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है (**परिशिष्ट–VIII**)।
(x)	The user Agency shall transfer the funds for the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal from the user agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in writ Petition (Civil) No. 202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. 5-3/2007-FC dated 05.02.2009 through online portal of CAMPA account of the State Concerned.	प्रकरण में NPV की राशि रूपये 73,05,27,576/- .वेब पोर्टल के माध्यम से कैम्पा खाते में दिनांक 09.02.2021 को किया गया है। जमा चालान की प्रति संलग्न है (**परिशिष्ट–II**)।
(xi)	At the time of payment of Net Present Value (NPV) at the present rate, the user agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined,as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India;	अतिरिक्त NPV की राशि जमा करने हेतु आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है (**परिशिष्ट–IX**)।
(xii)	Fencing, protection and regeneration of the safety zone area (7.5 meter's strip shall be kept within the mining lease boundary and area of the safety zone shall be part of the total area of mining lease boundary and area of the safety zone shall be part of the total area of mining lease as per the ministry's guidelines dated 27.05.2015) shall be done within three years at the project cost from the issue of Stage-II Clearance. Besides this afforestation on degraded forest land to be selected elsewhere measuring one & half times the area under safety zone shall also be done at the project cost; The degraded forest land (DFL) so selected will be informed to the MOEF & CC with shape files and afforestation will be done within three years from the date of Stage –II Approval and maintained thereafter in accordance with the approved Plan in consultation with the State Forest Department.	सेफ्टीजोन एरिया के लिए आवेदक संस्थान का वचन पत्र **परिशिष्ट–X** में संलग्न है। सेफ्टीजोन क्षेत्र के डेढ़ गुना बिगड़े वनक्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र 9.11 हेक्टेयर कक्ष क्रमांक पी–2012 परिक्षेत्र उदयपुर, सरगुजा वनमण्डल का चयन किया गया है। चयनित क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट के.एम. एल. एवं सेफ फाईल के साथ संलग्न है (**परिशिष्ट–XI**)। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि रूपये 82,70,400/- का वेब पोर्टल के माध्यम से कैम्पा खाता में दिनांक 12.02.2021 द्वारा जमा किया गया है। ई–चालान की प्रति संलग्न है।
(xiii)	User Agency should ensure that the Compensatory levies (CA Cost, NPV, etc.) are deposited through challan generated online on web portal and deposited in appropriate bank online only.	आवेदक संस्थान द्वारा जमा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, एन.पी.व्ही. एवं अन्य राशि परिवेश पोर्टल में चालान जनरेट कर भुगतान किया गया है। ई–चालान की प्रति संलग्न है (**परिशिष्ट–II & XXXI**)।

(xiv)	State Govt. shall complete settlement of rights, in terms of the Scheduled Tribes and Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 if any on the forest land to be diverted and submit the documentary evidence as prescribed by this Ministry's letter No. 11-9/1998-FC (Pt.) dated 03.08.2009 read with 05.07.2013, in support thereof;	कलेक्टर सरगुजा जिला एवं कलेक्टर सूरजपुर द्वारा वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न है (**परिशिष्ट–XII & XIII**)।
(xv)	Period of diversion of the said forest land under this approval shall be for a period co-terminus with the period of the mining lease proposed to be granted under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act 1957, as amended and the rules framed there-under;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। तदाशय् का वचन पत्र संलग्न है (**परिशिष्ट–XIV**)।
(xvi)	The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required;	पर्यावरण स्वीकृति की प्रति संलग्न है (**परिशिष्ट–XV**)।
(xvii)	No labour camp shall be established on the forest land and user agency shall provide Fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site soas to avoid pressure on the nearby forest areas;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। तदाशय् का वचन पत्र संलग्न है (**परिशिष्ट–XVI**)।
(xviii)	The boundary of the diverted forest land mining lease and safety zone, as applicable, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, distance from pillar to pillar and GPS Co-ordinates;	आवेदक संस्थान का वचन पत्र एवं डिमार्केशन प्लान संलग्न है (**परिशिष्ट–XVII & XVIII**)।
(xix)	The layout plan of the mining plan / proposal shall not be changed without the prior approval of the central govt.	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। तदाशय् का वचन पत्र संलग्न है (**परिशिष्ट– XIX**)।
(xx)	The forest land so proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। तदाशय् का वचन पत्र संलग्न है (परिशिष्ट–**XX**)।
(xxi)	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। तदाशय् का वचन पत्र संलग्न है (परिशिष्ट–**XXI** में)।
(xxii)	The user agency shall explore the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be felled and shall ensure that any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department;	ट्री ट्रांसलोकेशन हेतु शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय् का वचन पत्र संलग्न है (**परिशिष्ट–XXII**)। ट्री ट्रांसलोकेशन प्लान की प्रति संलग्न है (**परिशिष्ट–XXIII**)।

(xxiii)	User Agency either himself or through the state forest department shall undertake gap planting and soil & moisture conservation activities to restock and rejuvenate the degraded open forests (having crown density less than 0.40), if any located in the area within 100 m from outer perimeter of the mining lease. The plan for plantation and SMC activities will be prepared and submitted to MOEF & CC before Stage –II Approval;	माईनिंग लीज के 100 मीटर बाहरी परिधि में बिगड़े वनक्षेत्र (घनत्व 0.4 से कम) में गैप प्लानटेशन एवं मृदा जल संरक्षण कार्य हेतु क्षेत्र का चयन कर प्लान की प्रति वनमण्डलाधिकारी सूरजपुर वनमण्डल द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्लान की प्रति संलग्न है (**परिशिष्ट–XXIV**)। गैप प्लानटेशन हेतु राशि रूपये 17,79,362/- एवं मृदा जल संरक्षण हेतु राशि रूपये 4,44,841/- कुल राशि रूपये 22,24,203/-का भुगतान वेब पोर्टल के माध्यम से कैम्पा खाते में किया गया है।
(xxiv)	The User Agency shall undertake mining in a phased manner after taking due care for reclamation plan as per the approved mining plan shall be executed by the User Agency from the very first year, and an annual report on implementation thereof shall be submitted to the Nodal Officer, Forest (Conservation) Act, 1980 in the concerned State Government and the concerned Regional Office of the Ministry. If it is found from the annual report that the activities indicated in the concurrent reclamation plan are not being executed by the User Agency, the Nodal Officer or the concern Addl. Principle Chief Conservator of Forests (Central) may direct that the mining activities shall remain suspended till such time, reclamation activities area satisfactorily executed;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। तदाशय् का वचन पत्र संलग्न है (**परिशिष्ट–XXV**)।
(xxv)	The User Agency shall prepare a list of existing village tanks and other water bodies with GPS co-ordinates located within five km. from the mine lease boundary. This list is to be duly verified by the concerned Divisional Forest Officer. The User Agency shall regularly undertake desilting of these village tanks and other water bodies so as to mitigate the impact of siltation of such tanks / water bodies. A detailed approved plan for desilting of identified ponds and water bodies to be prepared in consultation with the forest department and shall be submitted to MOEF &CC before **stage –II** approval;	माईनिंग लीज के 5 कि.मी. की परिधि में स्थित तालाब एवं अन्य जल स्त्रेतो की सूची जी.पी.एस. को–आर्डिनेट सहित तैयार की गयी है। जिसका सत्यापन वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर एवं सरगुजा वनमण्डल द्वारा किया गया है (**परिशिष्ट–XXVI** में)। आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत वचन पत्र संलग्न है (**परिशिष्ट–XXVII**)।
(xxvi)	The User Agency shall submit the annual self–compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। तदाशय् का वचन पत्र संलग्न है

	Regional Office and to this Ministry by the end of March every year regularly;	(परिशिष्ट– **XXVIII** में)।
(xxvii)	Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate with the approval of competent authority in the interest of conservation, protection and development of forests and wildlife; and	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। तदाशय् का वचन पत्र संलग्न है (परिशिष्ट– **XXIX**)।
(xxviii)	The User Agency shall comply with all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any for the time being in force, as applicable to the project.	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। तदाशय् का वचन पत्र संलग्न है (परिशिष्ट– **XXX** में)।

मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर से प्राप्त पालन प्रतिवेदन अनुशंसा सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– पालन प्रतिवेदन 02 प्रतियों में

(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)

(सुनील मिश्रा)
अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र./भू–प्रबंध/खनिज/331–229/548 रायपुर, दिनांक 25/02/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक**, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़।
2. **वन मंडलाधिकारी**, सरगुजा/सूरजपुर/कोरिया वन मंडल, छत्तीसगढ़।
3. **अधीक्षण अभियंता** (फ्यूल), मेसर्स राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम मर्यादित, विद्युत भवन जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान) ईमेल – fuel.rvun@gmail.com।

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़